28.10.2024:—पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी ने अपना मूल वाद पत्र मे विड्रा कर लिया है। इसलिए मूल वाद पत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.10.30 12:54:55 IST
Reason: SelfAttested